

Tehri

Behansali  
Tehri

:आदेशः

सचिव आपता प्रबन्धन, कार्यक्रम निदेशक यूडी0आर०पी० एवं यूई०ए०पी० की शृंखला में  
दिनांक 24.7.2018 के सामग्र्य में जारी कार्यवृत्त Ref :/9/ /PMU/2018/UDRP Dehradun,  
Date:31,JULY 2018 एच०पी०सी० के द्वारा वैठक में सुपरिथित सदस्यों के साथ विचार -विमर्श एवं  
बैठक के दौरान लिये गये निर्णय में से वैठक में विन्दु संख्या-08 के सामग्र्य में विश्व धैंक प्रैमित  
योजना, यूडी0आर०पी०(Additional Financing) के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड  
भिलगना में उत्तरकाशी-लाम्बगांव-धनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी० ९८.०० में हनुमान  
मन्दिर के समीप ५०मी० स्पान मोटर सेतु निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया।

2- उक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी धनसाली द्वारा अपने पत्र संख्या-588/र.अह.-सं.नि.  
(2018-2019) दिनांक, धनसाली, अगस्त, 14, 2019 द्वारा जनपद के विकासखण्ड भिलगना में उत्तरकाशी  
-लाम्बगांव-धनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी० ९८.०० में हनुमान मन्दिर के समीप ५० मी०  
स्पान के मोटर मार्ग सेतु निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड सरकार के स्वागित्व वाली भूमि को चयनित  
हस्तान्तरित किये जाने हेतु तहसील धनसाली के अन्तर्गत चयनित भूमि प्रस्तावित की गई है जिसका  
विवरण निम्नवत् है:-

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्वा (हेठो में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
गिरगांव	केमर	1/21	249म०	0.024	उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी-9 (3)ड.
धनसाली	फैगुल	4	2म०	0.018	
			5म०	0.018	
योग				0.060	

3- अतः शासनादेश संख्या-260/ वित्त अनुभाग - ३/ 2002 दिनांक 15 फरवरी 2002 एवं  
शासनादेश संख्या-111XXVII(7)50(39)-2015/2014 दिनांक 9 जुलाई 2015 की शर्तों एवं  
प्राविधानों के तहत एवं उल्लिखित शासनादेशों के अधीन उपरोक्त प्रस्तर-2 में वर्णित भूमि को विश्व  
धैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग टिहरी के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है।

- भूमि का हस्तान्तरण विना मूल्य के किया, जायेगा। वन गमलों में भूमि का नजराना मूल्य की  
सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण की जा रही है वह एक अनुमोदित  
परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान, किया जा चुका हो, तथा केवल उत्ती  
ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाय जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो।
- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इगारत नहीं होनी चाहिए।

र. km

क्रमशः-2

श्री विकास  
तंत्रजीवन विभाग  
पुराक्रोत १९८५  
३०/८/१०

यदि भूमि वन विभाग वारी रक्षित वन भूमि हो तो वह हरतान्तरण के बाद भी रक्षित वन भूमि बनी रहेगी। रक्षित वन भूमि के हरतान्तरण से सामग्रियों की कोई आपत्ति न हो और हरतान्तरित भूमि के उपयोग करने में साथ लागी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई सानि नहीं करायी जायेगी।

- 5- वन विभाग दूसरे रोवा विभाग से हरतान्तरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा, सैकिन स्थिति उस भूमि पर पे इत्यादि अन्य सम्पदा हो तो याचक विभाग द्वारा वन विभाग को लुप्त सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पड़ेगा।
- 6- हरतान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से गिन प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसे मूल राजस्व विभाग से पुनः आवेदन प्राप्त करना होगा और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्ष तक हरतान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो उसके मूल विभाग राजस्व विभाग को वापस करना होगा।
- 7- यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा। कृपया उपर्युक्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(आ०वी०षणभुगम्)  
जिला अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी, जिला टिहरी गढ़वाल।

संख्या— १०३५/XI-100(2018-2019) दिनांक नई टिहरी सितम्बर २५, 2019

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- संघिव सम्पदा प्रबन्धन कार्यक्रम निर्देशक य०३५०३००.००.०० एवं य०३५००००००० देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- संघिव राजस्व, अनुभाग-२ उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 4- उप जिलाधिकारी धनसाली।
- 5- अधिकारी अग्रियन्ता, विष्व वैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।
- 6- तहसीलादार धनसाली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राजस्व अभिलेखों में याचक विभाग के नाम अग्रलदारगत कर प्रस्तुत भूमि का रीमांकनोपरान्त कर्जा हस्तागत करें।

जिला अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।